— 1

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नवलगढ़ जिला झुन्झुनू

पीठासीन अधिकारी श्री जय सिंह (आर.ए.एस.)

जीएसएम नं. – 2024/222
मुकदमा नम्बर 81/2024 दर्ज दिनांक–22.08.2023

नत्थूराम उर्फ नाथूराम पुत्र पूर्णमल जाति मेघवंशी निवासी रामपुरा,तहसील नवलगढ़ जिला झुझुंनू(राज.)

बनाम

1. हरफूल पुत्र पूर्णमल
2. रूकमा देवी पुत्री पूर्णमल जाति मेघवंशी निवासीगण रामपुरा तहसील नवलगढ़ जिला झुझुंनू(राज.)
3. मंदिर श्री गोपालजी जरिये कनविनर तहसीलदार नवलगढ जिला झुझुंनू
4. भूमिधारक राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार नवलगढ़

वकील आवेदक :– श्री दयाराम सैनी
अनावेदक संख्या 1 लगा. 4 :– एक पक्षीय

प्रार्थना–पत्र(पत्थरगढ़ी) अन्तर्गत धारा 111,128 लैण्ड रेवेन्यू एक्ट

:: आदेश ::

निर्णय दिनांक 18.10.2024

प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया कि, ग्राम रामपुरा पटवार हल्का चिराना मे खेत खसरा नं. 731 रकबा 0.25 है0 पर मुताबिक सीमाज्ञान पत्थरगड्डी करवाये जाने के आदेश किये जावे।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर तलबी अनावेदकगण की जारी की गई। अनावेदक संख्या 1 लगा 4 बावजूद सम्यक तामिल अनुपस्थित रहे अतः इस प्रकरण में इनके विरूद्व एक पक्षीय कार्यवाही की जाती है।

बहस प्रा. पत्र पेश एक पक्षीय पेश होने पर बगौर सुनी गई तथा पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों का अवलोकन किया गया।

लिहाजा न्यायालय को यह विश्वास करने का पर्याप्त आधार है कि राजस्व कार्मिको द्वारा तैयार सीमाज्ञान शुद्व है। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र पत्थरगड्डी मुताबिक सीमाज्ञान दिनांक 20.07.2023 स्वीकार किया जाता है तथा राजस्व ग्राम रामपुरा पटवार हल्का चिराना मे खेत खसरा नं. 731 रकबा 0.25 है0 पर मुताबिक सीमाज्ञान दिनांक 20.07.2023 पत्थरगड्डी किये जाने के आदेश दिये जाते है।

तहसीलदार नवलगढ को आदेशित किया जाता है कि, नियमानुसार शुल्क राजकोष मे जमा कर उक्त सम्बन्ध मे जो भी हितबद्व आवश्यक पक्षकार व खातेदार हो उनकी मौजूदगी मे पत्थरगड्डी करे। यदि आदेश कि पालना हेतु आवश्यक हो तो पर्याप्त पुलिस इमदाद प्राप्त करली जावे, जिसका आवश्यक होने समस्त खर्चा आवेदक द्वारा वहन किया जावेगा। पत्रावली फैसल शुमार हो नम्बर से कम हो बाद तकमिल जाप्ता दाखिल दफतर हो। निर्णय आज दिनांक 18/10/2024 को खुले न्यायालय सुनाया गया।

(जय सिंह)
उपखण्ड अधिकारी नवलगढ़
जिला–झुझुंनू

Scanned with CamScanner